

## फर्द अहकाम

### न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री छगनलाल डांगी

किस्म मुकदमा –विविध आ.9नि.9 जा.दी.

विपक्षी : रूपा डांगी

पत्रावली संख्या : 126 / 24

जीसीएमएस : 2024 / 482

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण  | हराबार पटी तथा सूचना जारी की गई |
|---------|--|---------------------------------|
|         | <p>दिनांक : 20.06.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सीपीसी पर बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।</p> <p>हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। वाद पत्र संख्या 30/21 अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवान श्री छगनलाल बनाम रूपा डांगी वगैरह की आदेशिका का अवलोकन करने से जाहिर होता कि उक्त अनवान का वाद पत्र दिनांक 12.01.2023 को अधिवक्ता वादी मय वादी को निरन्तर आवाजे दिलवाने के पश्चात भी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश दिये गये थे। प्रार्थी का कथन है कि मेरी और से प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था। अधिवक्ता द्वारा मुझे कहा गया था की जब भी आपकी जरूरत होगी तब सूचना देकर बुला लिया जाएगा। इस कारण मैं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। जब मैंने अधिवक्ता से संपर्क किया तब मुझे जानकारी हुई की वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया है। उसके बाद तत्काल प्रभाव से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। यद्यपि प्रार्थी स्वयं को अपने प्रकरण की जानकारी हेतु जागरूक होना चाहिये, तथापि प्रार्थी द्वारा अनुपस्थित रहने का माकूल कारण बताया गया है। प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज पर है तथा प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया कि मामला सम्पत्ति के हक-अधिकारो का है, जिसे गुणावगुण के आधार पर सुना जाना आवश्यक है। हम प्रार्थी द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से सहमत हैं। हमारे द्वारा सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाकर प्रार्थना पत्र को अन्दर अवधि शुमार किया जाता है तथा देरी की अवधि को कण्डोन किया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p>–: निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सीपीसी :-</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि पूर्व के वाद पत्र संख्या 30/21 अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवान श्री छगनलाल बनाम रूपा डांगी वगैरह को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिए जाते हैं। उभय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा में मूल वाद में दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे। मूल वाद दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)<br/>सहायक कलक्टर<br/>(SDO) मावली</p> |                                 |

